

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटका
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)..... कोटकासिम

न अधिकारी :- विष्णुप्रिय श्रीना RAS

उनवान

नौलम

बनाम

सन्तोष अर्ज

वा बाबत :- इस्तफादारी हक मय दुकाली इन्डिया कम्पन्यू इन्क. द्वारा 013 00-89-100

मुकदमा नम्बर :- 98/10-05-2016

RTA-1935

निर्णय दिनांक :- 27-06-2016

वादी की ओर से

की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख 27-06-2016 को विष्णुप्रिय श्रीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि -

विष्णुप्रिय आरजी रफ. नं. 852/25.00 ई.सी. बाके शाम हरमौली तहसील कोटकासिम जिला अल्प में रात्रिजीवालय कि विरासत के अर्ध भाग पर मुलाधिकार बनाया जादि या को रखात दाल कायतफार बाके किमा जाताहै। उक्त विरासत के अर्ध हिस्सेतक जलिषादी गल बलगायत 5 प 5 फानाम हाल तेमरि से फलमज्जन किमा जाताहै। ओफरकक बस्तुर हिस्सेतक जलिषादी गल का रहेगा। उम्मातु साद राजस्थ रिफाई में दुकाली कल अमलदरामद किमा जावे। उक्त अर्धवादिषाके हिस्से तक जलिषादी गल को हुम्न इस्तफादारी में पाबन्द किमा जाताहै। पञावली नम्बर के कम्पन्यू इन्क. कल तक भी न दालि दामत (नी) लवे। निर्णय केम्प कोर्ट में कि जिय शापियन पत्रा. कल सुनाया गये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विष्णुप्रिय श्रीना)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
रुपया		रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
10 $\frac{4}{15}$	नीयम / लाला पा वकुलाब फरिक्न उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय समानान्तरण अधिन है आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक... 18-4-17 को पेश हो
18 $\frac{4}{15}$	वकुलाब फरिक्न उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय समानान्तरण अधिन है आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक... 19-4-17 को पेश हो
19 $\frac{6}{17}$	पत्रावली पेश हुई। वकुलाब फरिक्न उप०। आईन्दा पत्रावली के अन्तर्गत अदालत में दिनांक 27/6/17 को पेश हो। एसडीओ/सीडर
27-6-17 कोलकाता	आजमद पत्रावली के अन्तर्गत कोर्ट का फैसला में पत्रावली उपस्थित पत्रावली के अन्तर्गत उपस्थित/सुना गया। 18-4-17 पत्रावली का अन्तर्गत किया गया। सुनाया गया। पत्रावली का अन्तर्गत ही अन्तर्गत किया गया। 18-4-17 किया जाता है विषय अन्तर्गत किया गया। अन्तर्गत पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर 2 को अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत किया गया। सुनाया गया।